

प्रेषक,

अभिताभ कौशल
सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका;
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता—सह—निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी।
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

राँची, दिनांक: 02/03/2020

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग) अन्तर्गत नई लघु सिंचाई योजनाओं के निर्माण हेतु रुपये 801.704 लाख (रुपये आठ करोड़ एक लाख सत्तर हजार चार सौ मात्र) राशि आवंटित करने के संबंध में।

प्रसंग :-

प्रशासनिक स्वीकृत्यादेश संख्या-63 / 2018–19, दिनांक –12.02.2019, Online AA- 2097, Dated-12.02.2019

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2019–20 में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष 4702—लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय के अंतर्गत निम्नवत् दर्शाये गये लघु शीर्ष /उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को आवंटन संसूचित किया जाता है :–

(राशि लाख रु. में)

क्र.	मॉग संख्या/मुख्य शीर्ष /उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष /उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष /विपत्र कोड	आवंटित राशि
1	2	3	4	5
1.	50—जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग)/ 4702—लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	101—सतही जल/ 19— नई लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण	05—निर्माण/ 45— निर्माण कार्य विपत्र कोड— 50S470200101190545	227.814
2.	50—जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग)/ 4702—लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	796—जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना/ 19— नई लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण	05—निर्माण/ 45— निर्माण कार्य विपत्र कोड— 50S470200796190545	573.890
कुल :-				801.704
आवंटित राशि — रु. आठ करोड़ एक लाख सत्तर हजार चार सौ मात्र।				

- आवंटित राशि वर्ष 2019–20 के बजट शीर्ष— 470200101190545 के संशोधित बजट उपबंध रुपये 5000.00 लाख (पचास करोड़) तथा बजट शीर्ष— 470200796190545 के बजट उपबंध रुपये 11500.00 लाख (एक सौ पन्द्रह करोड़) मात्र के अन्तर्गत है।
- उपर्युक्त आवंटित की जा रही राशि का व्यय परिशिष्ट-1 एवं 2 में अंकित कार्य प्रमंडलों के द्वारा नियमानुसार किया जाएगा।
- आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि.) दि. 15.07.2003, 1363 दि. 09.05.2016 एवं 2747/वि., दिनांक—19.09.2016 के आलोक में होगा।
- आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति में वर्णित शर्तों का अक्षरशः पालन करते हुए तकनीकी स्वीकृति एवं स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम के अनुरूप किया जायेगा।
- संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
संयुक्त सचिव

7. राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रामाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
8. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
9. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।
10. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
11. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
12. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निवेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
13. AIBP योजनाओं के लिए MOU में भारत सरकार द्वारा अंकित सभी अनुदेशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। साथ ही तत्संबंधी प्रतिवेदन विभाग को समय उपलब्ध कराया जाय।
14. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
15. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यार्पण 31 मार्च 2020 के पूर्व तक निश्चित रूप से कर देंगे। साथ ही यदि किसी इकाई में आवंटित राशि का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरेक राशि का यथाशीघ्र प्रत्यार्पण कर दिया जाय। राशि का प्रत्यार्पण, Online उप शीर्षवार किया जाय एवं पूर्ण प्रत्यार्पण प्रतिवेदन Hard Copy में Access No तथा Revoke No/Surrender No (संबंधित LOC No सहित) का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।

नोट : आवंटित राशि को Online Allotment System द्वारा निर्गत किया जा चुका है जिसका Access no परिशिष्ट-1 एवं 2 के स्तंभ-15 में अंकित है। यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनुलग्नक—यथोक्त्।


(अमिताभ कौशल)
सचिव

ज्ञापांक :- 277

रॉची, दिनांक :-

02/03/2020

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड पो. - हिनू, रॉची/कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा/गुमला/गोड्डा/जामताड़ा सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक—यथोक्त्।



(अमिताभ कौशल)
सचिव

ज्ञापांक :- 277

रॉची, दिनांक :- 02/03/2020

प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव योजना-सह-वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) रॉची/अभियंता प्रमुख-I एवं II जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग/प्रशास्त्रा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/सचिव के प्रधान आप सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक—यथोक्त्।



(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)



(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
संयुक्त सचिव



(अमिताभ कौशल)
सचिव

विभागीय पत्रांक 277

दिनांक 02/3/2020

का अनुलग्नक

परिषिद्ध -1

मुख्य शीर्ष-4702- लघु सिंचाइ पर पैंजीगत व्यय
लघु शीर्ष-101-सतही जल,
उप शीर्ष-19-नई लघु सिंचाइ योजनाओं का निर्माण,
विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण
संशोधित बजट उपबंध (2019-20) – 5000.00 लाख
विपत्र कोड- 50S470200101190545

क्र.	कार्यालय का नाम	जिला	प्रखण्ड	योजना का नाम	वर्ष 2019-20 में (राशि लाख में)										
					प्रसंग	साथि	Online प्रसंग	एकरारित साथि	मार्च 2019	पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटन	योजना पर कुल अवंटन आवंटन (10+13)	Online Allotment Access No.	अनुक्रित
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	राज्यसंगठी	विहारी नदी में शुद्धीकरण चैकड़ेम निर्माण				182.773		161.030	0.000	97.000	64.030	161.030	161.030		
2	लघु सिंचाइ	कर्नलाघक वांच नाला में ३२० चैकड़ेम निर्माण				165.450		141.920	0.000	71.000	28.344	99.344	99.344		
3	प्रमङ्गल, गोड्डा	महामाना गोपाला वांच नाला में चैकड़ेम का निर्माण				dt. 12.02.2019	2097	98.910	0.000	57.500	30.700	88.200	88.200	88971	
4	गोड्डा	द्वरा नदी में ३० चैकड़ेम निर्माण				207.793		184.740	0.000	80.000	104.740	184.740	184.740		
		योग :-				654.926		575.890	0.000	305.500	227.814	533.314	533.314		

26

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अमि.)

Q
(सर्वोच्च नारायण उपाध्याय)
संयुक्त सचिव

30
(अभियाम कौशल)
सचिव

विभागीय पत्रांक 277

दिनांक 02/3/2020

का अनुलग्नक

परिशिष्ट -2

मुख्य शीर्ष-4702 – लघु सिंचाई पर पैंजीगत व्यय
लघु शीर्ष-796–जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना,
उप शीर्ष-19–नई लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण,
दिसंत शीर्ष-05–निर्माण
संशोधित बजट उपव्य (2019-20) – 11500.00 लाख
विप्र कोड- 50S470200796190545

क्र.	कार्यालय का नाम	जिला	प्रखण्ड	योजना का नाम			प्रशासनिक स्थीर्कृति			वर्ष 2019-20 में			योजना पर ^(राशि लाख में) कुल अवधारण आवरण (10+13)	Online Allotment Access No.	अन्युकृति
				प्रसंग	राशि	Online प्रसंग	एकारणि राशि	नार्च ताक व्यय	पूर्व का आवरण	वर्तमान आवरण	कुल आवरण आवरण	पूर्व का आवरण			
1	लघु सिंचाई	नाला	बालौल, जामताड़ा	सुपा नाला पर शृंखला चैकड़ेम निर्माण	63/2018-19	67.306	100.880	0.000	74.500	26.380	100.880	100.880	116.167		
2	प्रमांडल, जामताड़ा	जामताड़ा	नायाडीह इलाम टॉड जोरिया पर चैकड़ेम निर्माण	d. 12.02.2019	63.427	47.640	0.000	35.400	12.240	47.640	47.640	47.640	55.044		
3	(IMT MIR22)		माहरा जोरिया पर चैकड़ेम निर्माण	d. 12.02.2019	62.055	60..346	0.000	45.200	15.790	60.990	60.990	60.990	60.990		
4					137.028	60.990	0.000	45.200	15.790	60.990	60.990	60.990	60.990		
5					257.013	117.280	0.000	74.700	42.580	117.280	117.280	117.280	117.280		
6					221.670	0.000	163.700	40.970	204.670	204.670	204.670	204.670	204.670		
7					160.698	140.100	0.000	89.700	50.400	140.100	140.100	140.100	140.100		
8					216.397	192.070	0.000	102.700	40.500	143.000	143.000	143.000	143.000		
9					66.459	58.040	0.000	37.700	20.340	58.040	58.040	58.040	58.040		
10	लघु सिंचाई	कुमरी	अनाधीरी नाला पर शृंखलावद्व चैकड़ेम निर्माण	63/2018-19	164.375	141.510	0.000	90.000	9.057	99.057	99.057	99.057	99.057		
11	प्रमांडल, जुमला	बोनीया नाला पर एकल चैकड़ेम निर्माण	d. 12.02.2019	99.089	2097	78.730	0.000	58.500	20.230	78.730	78.730	78.730	78.730		
12	(GMLIRR006)	विधुनपुर	विंगरो धाघरा नाला पर शृंखलावद्व चैकड़ेम निर्माण	dt. 12.02.2019	220.596	189.530	0.000	101.400	30.000	131.400	131.400	131.400	131.400		
13			जयराम लैण्ड के पास चापाटोती नाला पर चैकड़ेम निर्माण		87.306	48.720	0.000	36.500	12.220	48.720	48.720	48.720	48.720		
14			ज्ञान डुमाडीह नाला पर एकल चैकड़ेम निर्माण		74.441	55.170	0.000	30.400	8.219	38.619	38.619	38.619	38.619		
15			जोराटाङ सोसो नाला पर शृंखलावद्व चैकड़ेम निर्माण		230.598	198.130	0.000	145.500	52.630	198.130	198.130	198.130	198.130		
16			पालकोट		84.914	67.840	0.000	50.000	17.840	67.840	67.840	67.840	67.840		
17			जारी		61.837	46.610	0.000	34.300	12.310	46.610	46.610	46.610	46.610		
18			सिरता नाला पर एकल चैकड़ेम निर्माण कार्य		73.386	61.820	0.000	8.300	34.974	43.274	43.274	43.274			
19			पकरी/ कुमुरदूख्या नाला पर एकल चैकड़ेम निर्माण कार्य		69.342	56.910	0.000	42.600	14.310	56.910	56.910	56.910			
20			पुका बांध के पास पहाड़ा अन्धा नाला पर एकल चैकड़ेम निर्माण कार्य		57.543	47.560	0.000	7.000	28.670	35.670	35.670	35.670			
21			कोचांझाना नाला पर एकल चैकड़ेम निर्माण कार्य		51.923	41.960	0.000	22.600	15.400	38.000	38.000	38.000			
			योग :-		2,333.686	2,012.890	0.000	1,280.000	515.290	1,795.290	1,795.290	1,795.290			
1	लघु सिंचाई	नाला	बालौल, जामताड़ा	बालौल जिलम टॉड जोरिया पर चैकड़ेम निर्माण	63/2018-19	67.306	54.400	0.000	37.000	17.400	54.400	54.400			
2	प्रमांडल, जामताड़ा	जामताड़ा	नायाडीह इलाम टॉड जोरिया पर चैकड़ेम निर्माण	d. 12.02.2019	63.427	47.640	0.000	35.400	12.240	47.640	47.640	47.640	47.640	47.640	47.640
3	(IMT MIR22)		माहरा जोरिया पर चैकड़ेम निर्माण	d. 12.02.2019	62.055	53.344	0.000	34.000	19.340	53.340	53.340	53.340	53.340	53.340	53.340
			योग :-		192.788	163.604	0.000	105.000	58.600	163.600	163.600	163.600			
			सकल योग :-		2,526.474	2,176.494	0.000	1,385.000	573.890	1,958.890	1,958.890	1,958.890			

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभिं.)

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
संयुक्त सचिव

(अमिताभ कौशल)
सचिव